

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6378/2025

Divyandu Ganguli S/o Virendra Chand

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sagar Sharma, Adv. through V.C.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

09/04/2026

आई.ए. 1/25 पर सुना गया।

संपूर्ण आरोप पत्र की प्रति पेश नहीं किये जाने का आक्षेप वेव किये जाने का निवेदन किया है, लेकिन वर्तमान मामले में राजीनामा मात्र एक अभियुक्त से हुआ है, वह भी आंशिक रूप से तथा शेष अभियुक्तगण से कोई राजीनामा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण आरोप पत्र व उसकी सामग्री का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, इस आक्षेप को वेव किया जाना उचित नहीं है, अतः आई.ए. 1/25 खारिज किया जाता है।

याची पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि तीन सप्ताह में संपूर्ण आरोप पत्र की प्रति कार्यालय में पेश करें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J